संख्या-73/2015/564/नौ-5-16-25बजट/2016

प्रेषक,

रंग बहादुर सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नगरीय निकाय निदेशालय,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊ: दिनांक 30 मार्च, 2016

विषय:- वित्तीय वर्ष 2015-16 में डेडिकेटेड अर्बन ट्रान्सपोर्ट फण्ड में प्रावधानित धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संयुक्त निदेशक, नगरीय परिवहन निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या-30यूडीटी/15-7यूडीटी/15, दिनांक 09 फरवरी, 2016 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-37 के आयोजनेत्तर पक्ष के अन्तर्गत डेडिकेटेड अर्बन ट्रान्सपोर्ट फण्ड मद में प्रावधानित धनराशि से ₹ 325.00 करोड़ (₹ तीन अरब पच्चीस करोड़ मात्र) की धनराशि आपके निर्वतन पर रखे जाने पर श्री राज्यपाल निम्नलिखित विवरण, शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) अवमुक्त धनराशि कोषागार से आहरित कर डेडिकेटेड अर्बन ट्रांसपोर्ट फण्ड हेतु भारतीय स्टेट बैंक, जवाहर भवन शाखा में "यूपी डीयूटीएफ स्टेट नोडल एकाउन्ट" नाम से खोले गये खाते में रखा जायेगा।

(2) उक्त वित्तीय स्वीकृति उत्तर प्रदेश नगरीय परिवहन निधि नियमावली 2013 के प्रावधानों के अन्तर्गत निहित उद्देश्यों के तहत् निर्गत की जा रही है। अतः सन्दर्भित नियमावली के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) निधि से स्वीकृत धनराशि का लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेखों का रख-रखाव नगरीय परिवहन निदेशालय द्वारा किया जायेगा तथा वार्षिक लेखा विवरण तैयार कराया जायेगा।

(4) निधि का उपयोग उत्तर प्रदेश नगरीय परिवहन निधि नियमावली 2013 के प्रावधानो के अनुसार निधि प्रबन्ध समिति के निदेशों के अनुसार किया जायेगा।

(5) निधि का संचालन तथा प्रबन्धन, नगरीय परिवहन निदेशालय द्वारा किया जायेगा।

(6) अवमुक्त धनराशि पर अर्जित ब्याज राजकोष में जमा किया जायेगा।

2- इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन विभागों/उपक्रमों में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो का किसी प्रकार का विचलन हो, तो सम्बन्धित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तत्काल प्रशासकीय तथा वित्त विभाग को दी जायेगी।

3- चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय आयोजनेत्तर *लेखाशीर्षक "2217-शहरी विकास-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-09-राज्य सरकार द्वारा संग्रहीत 2 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क का डेडिकेटेड अर्बन ट्रान्सपोर्ट फण्ड में अंतरण-42-अन्य व्यय*" के नामें डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-ई-8-837/दस-2016, दिनांक 30 मार्च, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,
(रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव।

संख्या- 73 /2016/564/(1)/नौ-5-16-25बजट/2016 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2- अध्यक्ष/मण्डलायुक्त, सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, आगरा, लखनऊ, कानपुर, मेरठ, इलाहाबाद एवं वाराणसी।
3- जिलाधिकारी, आगरा, लखनऊ, कानपुर, मेरठ, इलाहाबाद एवं वाराणसी।
4- मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन कोषागार, लखनऊ।
5- निदेशक/संयुक्त निदेशक/ वित्त् नियंत्रक, नगरीय परिवहन निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
6- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 परिवहन निगम लिमिटेड, लखनऊ।
7- सहायक निदेशक (लेखा) स्थानीय निकाय निदेशालय, इन्दिरा भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
8- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
9- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
11- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल वेबसाट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,
(रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव।